


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़  
नरपत सिंह आदि बनाम सुमन कंवर आदि  
 किसम प्रा.प.अ.नि. मुकदमां नं. 37 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/03/22	<p>वरील प्राथीगण द्वारा प्राथना-पत्र अस्थाई निवेद्याता पेश किया गया। सरिस्ता से रिपोर्ट ले चुकी है। प्राथना-पत्र दर्ज रनिस्थ किया जाये। अप्राथीगण को जरिये नोटिस तमब दिया जाये।</p> <p>वरील प्राथीगण की इडपक्षीय वदस सुनी गई। बाद सुनवाई अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निवेद्याता से वर्जित किया जाता है डि खेत खसरा संख्या 43 तादादी 8.6491 हेक्टेयर व खसरा संख्या 87 तादादी 2.9715 हेक्टेयर वाले रोही खरिया कनिराम तहसील सुजानगढ़ जिला बूढ़ की कृषि भूमि का आगामी तारीख पेशी तड राजस्व रिडॉंड की यथास्थिति बनाये रखे। अगर इसके जोर्ड आपति हो तो दिनां 29/04/2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेशा करें।</p> <p style="text-align: right;"><b>उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़</b></p>	
29/04/22	<p>प्रावली पेशा हुई। सम्मत लॉटर न्यायालय प्राप्त नहीं हुए। प्रावली दिनां 3</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जे हुक्म की ता जारी हुए
	01/06/2022 से पेश हो।	
01/06/22	पी० अ० साहू अवकाश पर हैं पञ्जवली वास्ते तलबी दिनां 05/08/22 से पेश हो।	
05/08/22	पी० अ० साहू अन्य पशासीक कार्य में व्यस्त हैं पञ्जवली वास्ते तलबी दिनां 06/10/22 को पेश हो।	
06/10/22	पञ्जवली पेश हुई। पञ्जवली वास्ते तलबी दिनां 09/12/2022 को पेश हो।	
09/12/22	अभिनाथ स्वयं ने कार्य स्थगित है पी० अ० साहू अन्य पशासनिक कार्य में व्यस्त हैं अर्थात् संख्या 0/ की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र मय कोस दी गई उत्तर। पञ्जवली वास्ते तलबी व जवाब कोस- दी गई दिनां 08/02/2023 को पेश हो।	
08/02/23	पञ्जवली पेश हुई। पञ्जवली वास्ते तलबी व जवाब कोस-दी गई दिनां 12/04/2023 से पेश हो।	
12/04/23	पञ्जवली पेश हुई। पञ्जवली वास्ते तलबी व जवाब कोस-दी गई दिनां 02/06/2023 से पेश हो।	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>18/04/23</p>	<p>वादीगण अधिवक्ता उपस्थित होकर अर्चना-पत्र T.I चिट्ठों को देखे हेतु पेश किया। साथ में अर्चना-पत्र प्रिण्ट फेरी में लेने का पेश किया। चूंकि T.I से संबंधित मूलवाद का निवृत्तारण किया जा चुका है इसलिए अर्चना- पत्र अस्थायी निवेद्याना का कोई प्रौचित्य नहीं रह जाता है अतः मुताबिक अर्चना-पत्र T.I चिट्ठों के आधार पर अर्चना-पत्र अस्थायी निवेद्याना इसी स्तर पर स्वारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार होकर दायित्व दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उप सचिव अधिकारी</b>  <b>सुजानगर</b> </p>	<p><i>Suma</i></p>